



सराहनीय कार्य जनपद फिरोजाबाद दिनांक 01-11-2022

थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा 82 पेटी एनर्जी ड्रिंक चोरी करने वाले अभियुक्तगण को चोरी के माल सहित किया गया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने एवं चोर लुटेरो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग 922/22 धारा 380/457 भादवि0 मे प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.रंजीत कुमार 2.बृजेश बघेल को मय चोरी के सम्पूर्ण माल व घटना मे प्रयुक्त ऑटो लोडर के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 30.10.2022 को वादी पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र अशोक अग्रवाल के गोदाम सरस्वती नगर से 82 पेटी में कुल 2,460 बोतल एनर्जी ड्रिंक चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना उत्तर पर मु0अ0सं0 922/22 धारा 380/457 भादवि, बनाम अज्ञात मे पंजीकृत कराया गया था । जिस पर कार्यवाही करते हुये थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा दि0- 31.10.2022 को नगलापान सहाय पुलिया कोटला रोड के पास से उक्त अभियुक्तों को मय माल के गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-

1. रंजीत पुत्र ओमप्रकाश बघेल नि0 सोफीपुर थाना बसई मौ0पुर जनपद फिरोजाबाद ।
2. बृजेश बघेल पुत्र ओमप्रकाश बघेल नि0 सोफीपुर थाना बसई मौ0पुर जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रंजीत

1. मु0अ0सं0 55/21 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना बसई मोहम्मदपुर फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 922/22 धारा 380/457 भादवि0 थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बृजेश

1. मु0अ0सं0 922/22 धारा 380/457 भादवि0 थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

बरामदगी का विवरण

1. 82 पेटी में कुल 2,460 बोतल एनर्जी ड्रिंक (अनुमानित मूल्य 50000/- रुपये) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना उत्तर, फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 संजय प्रताप शाही थाना उत्तर फिरोजाबाद
3. है0का0 135 मदन सिंह थाना उत्तर फिरोजाबाद
4. है0का0 412 सुनील कुमार थाना उत्तर फिरोजाबाद
5. का0 703 सुनील कुमार थाना उत्तर फिरोजाबाद

फर्द बरामदगी एक ऑटो लोडर में 82 पेटी में कुल 2,460 बोतल भरी हुई प्लास्टिक की स्टिंग एनर्जी व गिरफ्तारी 02 नफर अभियुक्त संबंधित मु0अ0सं0 922/22 धारा 411 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद.....

आज दि0 31.10.2022 को मैं उ0नि0 संजय प्रताप शाही मय हमराही है0का0 135 मदन सिंह के थाना हाजा से र0नं0 29 समय 11.05 बजे रवाना होकर वास्ते विवेचना मु0अ0सं0 922/22 धारा 457/380 भादवि की विवेचना मे मामूर होकर वास्ते तलाश चोरी गयी माल व मुल्जिम में मामूर होकर जलेसर चौराहे पर मौजूद था कि जरिए मुखबिरखास सूचना मिली कि कल मौ0 सरस्वती नगर गली नं0 01 पैप्सी गोदाम से स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बोतले चोरी हुई थी। उन बोतलों सहित चार व्यक्ति माल सहित नगला पान सहाय से आगे कोटला रोड सडक किनारे पेटियों को रखकर किसी वाहन का इंतजार कर रहे है। यदि जल्दी की जाए तो चारो व्यक्ति चोरी के माल सहित पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके इमदाद हेतु क्षेत्र में गशत कर रहे है0का0 412 सुनील कुमार व का0 703 सुनील कुमार को हस्बुलतलब कर बुलवाया, जो जलेसर चौराहे पर मेरे पास आ गए है। सभी हमराहीयान के सामने मुखबिर ने पुनः अपनी सूचना से अवगत कराया गया। तदोपरांत मुझ उ0नि0 द्वारा हमराहीयान व मुखबिरखास की जामातलाशी लेकर व अपनी जामातलाशी है0का0 135 मदन सिंह से लिवाकर विश्वास किया व कराया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई नाजायज वस्तु नहीं है। उसके बाद आसनाहे राह से जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की गई तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति साथ चलने को तैयार नहीं हुआ तथा अपनी अपनी मजबूरी बताकर अपने अपने रास्ते चले गए। तदोपरांत मुखबिर के साथ चलकर छिपते छिपाते नगलापान सहाय पुलिया कोटला रोड से करीब 50 कदम पहले मुखबिर ने रुककर बताया कि जो कि जो सडक किनारे पेटियों के ढेर के पास जो 04 व्यक्ति बैठे हुए है यही वह चोर है। जिनके बारे में मैंने आपको सूचना दी है और मुखबिर चला गया। तब हम पुलिस वालों ने एक बारगी दबिश देकर घेरकर चारों व्यक्तियों को पकडने का प्रयास किया तो दो व्यक्ति मौके से खेतों की तरफ भाग गए, जिनका पीछा है0का0 मदन व है0का0 सुनील कुमार ने किया। तो हाथ नहीं आ सके तथा 02 व्यक्तियों को मौके पर ही माल सहित पकड लिया गया। पकडे गए व्यक्तियों से बारी बारी से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम रंजीत कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 सोफीपुर थाना बसई मौ0पुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 35 वर्ष बताया तथा दूसरे ने अपना नाम बृजेश बघेल पुत्र ओमप्रकाश बघेल नि0 सोफीपुर थाना बसई मौ0पुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 23 वर्ष बताया। दोनों व्यक्तियों के कब्जे से 82 पेटियाँ स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में 30-30 बोतल प्लास्टिक की बोतल भरी हुई कुल 2,460 की भरी हुई है। प्रत्येक पेटी में 30 बोतले भरी हुई है। कुल 2,460 बोतले बरामद हुई। एक बोतल को निकाल कर देखा गया तो प्रत्येक बोतल पर स्टिंग एनर्जी 250 एमएल अंकित है, जिसमें लाल रंग का द्रव भरा हुआ है। प्रत्येक बोतल की कीमत मात्र 20/- रुपये अंकित है। बरामद स्टिंग एनर्जी बोतलों के बारे में पकडे गए दोनों व्यक्तियों से पूछा गया तो दोनों ने अलग अलग और एक साथ बताया कि इन बोतल पेटियों को कमल सिंह पुत्र नत्थीलाल नि0 छारबाग थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद और मनीष पुत्र लटूरी वर्मा नि0 सोफीपुर थाना बसई मौ0पुर जनपद फिरोजाबाद ने मिलकर सरस्वती नगर गली नं0 01 में बने कोल्ड्रिंक के गौदाम से कल रात चोरी की थी और इन बोतलो को कमल अपने ऑटो से मनीष के साथ यहाँ पर लेकर आया था। जो वह दोनों अभी यहाँ पर मौजूद थे जो आपको देखकर अभी आपके सामने भाग गए है। हम दोनों ने ये सारी बोतले कम दाम में उन दोनों चोरों से खरीद ली है। लेकिन रुपये बिक्री के बाद देना तय हुआ था। हम लोग किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे कि आपने पकड लिया, हमसे गलती हो गई है। बरामदी माल के संबंध में मु0अ0सं0 922/22 धारा 457/380 भादवि का अभियोग थाने पर पंजीकृत है। अतः मुझ विवेचक द्वारा जरिए दूरभाष वादी मुकदमा श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र अशोक अग्रवाल नि0 मकान नं0 09 कृष्णा पाडा थाना रसूलपुर को जरिए दूरभाष सूचित कर बरामद माल के संबंध में अवगत कराते हुए मौके पर बुलवाया गया जो करीब आधे घंटे के बाद मौके पर आ गए। जिनके सामने पकडे गए व्यक्तियों के नाम पते पुनः पूछे गए

तथा बरामद माल के बारे में पुनः पूछताछ की गई तो पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने पुनः अपनी अपनी बातों को दौहराया । बरामद बोतलों को देखकर वादी श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र अशोक अग्रवाल नि० म०नं० 09 कृष्णा पाडा थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ने अपना माल बताया । पकड़े गए दोनों व्यक्तियों का यह जुर्म धारा 411 भादवि का दंडनीय अपराध है । पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को बताया गया कि आपसे बरामद माल(बोतले) मु०अ०सं० 922/22 धारा 457/380 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के अभियोग से संबंधित है । जिसकी विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा की जा रही है । अतः आपको इसी समय इसी स्थान से मु०अ०सं० 922/22 धारा 411 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के अभियोग में गिरफ्तार किया जाता है । बताते हुए मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए समय 20.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । बरामदा माल में से एक पेट्टी बोतलों को एक कपडे में रखकर सर्वे सील मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया । शेष बोतलों की पेट्टियों पर चिटबन्दी की गई । फर्द मौके पर लैपटॉप से टाइप कर हमराहीयान व साक्षी एवं अभियुक्तगणों को पढकर सुनाई गई । अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की सूचना थाने पर पहुँचकर उचित माध्यम इनके परिवारीजन को दी जाएगी । फर्द की प्रिंट पैनडाईव में डालकर है०का० 135 मदन सिंह को भेजा जा रहा है । प्रिंट के आने पर हस्ताक्षर बनाए व बनवाए जाएंगे तथा फर्द की प्रतिलिपि अभियुक्तगणों को दी जाएगी ।

(संजय प्रताप शाही)

उ०नि०

थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद